"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2021—श्रावण 29, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जून 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल, आयुक्त, कृषि एवं गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, श्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, माननीय राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त एवं आयुक्त, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

3. श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, कृषि विभाग (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्ध पालन, गोठान का स्वतंत्र प्रभार), नोडल अधिकरी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना तथा आयुक्त-सह-संचालक, जनसंपर्क (पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता तथा अतिरिक्त प्रभार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर को केवल पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

5. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कृषि के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन बोर्ड एवं गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री सत्यनारायण राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है.

8. सुश्री किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य, नागरिक-आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

9. श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को केवल संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

10. श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री जय प्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम तथा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री जयप्रकाश मौर्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

12. सुश्री रानू साहू, भा.प्र.से. (2010), आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

14. श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है.

15. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संचालक, लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा एवं संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है.

16. श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

17. श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त-सह-संचालक, जनसंपर्क एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है.

18. सुश्री इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा अतिरिक्त प्रभार-मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को केवल मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

19. श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है.

20. श्री इंद्रजीत एस. चंद्रवाल, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है.

21. श्री पी. एस. ध्रुव, भा.प्र.से. (2013), कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

22. सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ करता है.

23. श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

24. श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

25. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), संचालक, संस्थागत वित्त एवं अतिरिक्त प्रभार-अपर प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

26. सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), अपर कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता हे.

27. सुश्री प्रियंका ऋषि महोबिया, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

28. श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी के पद पर पदस्थ करता है.

श्री चंद्रकांत वर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् अतिरिक्त प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

29. श्री मयंक चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जून 2021

क्रमांक 6082/1678/21-ब/छ.ग./21.—माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर एवं ज्ञापन क्रमांक 433/एक-आठ-6/2001 (पार्ट. चार)/गोपनीय/2021 बिलासपुर, दिनांक 17-06-2021 के अनुपालन में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की सेवा को, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय से प्रत्याहृत करती है तथा उनको विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यधीन रखती है और उनको अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करती है, अर्थात् :—

स. क्र.	वर्तमान पदस्थापना के स्थान सहित न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अंबिकापुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़
2.	श्री अमित प्रताप चन्द्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महासमुंद.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कवर्धा
3.	कु. अंबा शाह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बेमेतरा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव
4.	श्री मयंक सोनी, चतुर्थ, अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सूरजपुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली
5.	कु. गीता ब्रिज, अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महासमुंद.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर

No. 6082/1678/XXI-B/C.G./2021.—In compliance of Memo No. 433/I-8-6/2001 (Pt. IV)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 17-06-2021 and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the state Government, hereby withdraws the services of the following members of Lower Judicial Services specified in column (2) of the schedule below from the High Court of Chhattisgarh, and places them under Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints them as Secretary, District Legal Services Authority as mentioned

in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Posting as (3)
1.	Smt. Smita Shrivastava Sinha, II Civil Judge Class-II, Ambikapur.	Secretary, District Legal Services Authority, Raigarh.
2.	Shri Amit Pratap Chandra, II Civil Judge Class-II, Mahasamund.	Secretary, District Legal Services Authority, Kawardha.
3.	Ku. Amba Shah, I Civil Judge Class-II, Bemetara.	Secretary, District Legal Services Authority, Kondagaon.
4.	Shri Mayank Soni, IV Additional Judge to the court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.	Secretary, District Legal Services Authority, Mungeli.
5.	Ku. Geeta Brij, Additional Judge ot the court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.	Secretary, District Legal Services Authority, Jagdalpur.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2021

क्रमांक 6555/1828/21-ब/छ.ग./21.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt. II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर, श्री द्विजेन्द्र नाथ ठाकुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की सेवाएं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से प्रत्याहृत करता है, और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को सौंपता है तथा उनको छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में अवर सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. 6555/1828/XXI-B/C.G./2021.—In compliance of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh Memo No. 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the state Government, hereby, withdraws the services of Shri Dwijendra Nath Thakur, II Civil Judge, Class-II, Bilaspur, from Chhattisgarh High Court, Bilaspur, and handover the services to Law and Legislative Affairs Department, for his appointment on deputation and appoints him as Under Secretary, Chhattisgarh, State Legal Services Authority, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2021

क्रमांक 6557/1678/21-ब/छ.ग./21.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एवं ज्ञापन क्रमांक 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की सेवा को, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से प्रत्याहृत करती है तथा उनको विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यधीन रखती है और उनको अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करती है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	वर्तमान पदस्थापना के स्थान सहित न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	पदस्थापना (3)
1.	श्री गितेश कुमार कौशिक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कोरबा.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री डायमंड कुमार गिलहरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, दुर्ग.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर
3.	डॉ. सुमीत कुमार सोनी, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
4.	कु. रेशमा बैरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैकुंठपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर मुख्यालय, रामानुजगंज.
5.	कु. मयूरा गुप्ता, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार
6.	कु. सुमन ध्रुव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छुईखदान	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद
7.	श्री देवाशीष ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बचेली	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव
8.	श्रीमती सविता सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग.
9.	श्री प्रवीण मिश्रा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर
10.	कु. जसविन्दर कौर अजमानी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खरसिया.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा
11.	कु. शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा
12.	कु. प्रेरणा अहिरे, दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर

No. 6557/1828/XXI-B/C.G./2021.—In compliance of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh Memo No. 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the state Government, hereby withdraws the services of the following members of Lower Judicial Services specified in column (2) of the schedule below from the High Court of Chhattisgarh, and places them under Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints them as Secretary, District Legal Services Authority as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Posting as (3)
1.	Shri Gitesh Kumar Kaushik, II Civil Judge Class-I, Korba.	Secretary, District Legal Services Authority, Janjgir-Champa
2.	Shri Diamond Kumar Gilhare, IV Civil Judge Class-I, Durg.	Secretary, District Legal Services Authority, Kanker.
3.	Dr. Sumit Kumar Soni, VII Civil Judge Class-I, Raipur.	Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur.

(1)	(2)	(3)
4.	Ku. Reshma Bairagi, II Civil Judge Class-I Baikunthpur.	Secretary, District Legal Services Authority, Balrampur at Ramanujganj.
5.	Ku. Mayura Gupta, V Civil Judge Class-II, Durg.	Secretary, District Legal Services Authority, Baloda-Bazar.
6.	Ku. Suman Dhruv, Civil Judge Class-II, Chhuikhadan.	Secretary, District Legal Services Authority, Balod.
7.	Shri Devashish Thakur, Civil Judge Class-II, Bacheli.	Secretary, District Legal Services Authority, Rajnandgaon.
8.	Smt. Savita Singh Thakur, II Civil Judge Class-II, Balod.	Secretary, District Legal Services Authority, Durg.
9.	Shri, Praveen Mishra, Secretary, District Legal Services Authority, Rajnandgaon.	Secretary, District Legal Services Authority, Raipur.
10.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, II Civil Judge Class-II, Kharsiya.	Secretary, District Legal Services Authority, Bemetara.
11.	Ku. Sheetal Nikunj, Secretary, District Legal Services Authority, Balod.	Secretary, District Legal Services Authority, Korba.
12.	Ku. Prerna Ahire, X Civil Judge Class-II, Durg.	Secretary, District Legal Services Authority, Surajpur.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2021

क्रमांक 6559/1678/21-ब/छ.ग./21.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt. II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर श्री ईशान व्यास, नवम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रायपुर की सेवाएं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से प्रत्याहृत करता है, और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनको विधि और विधायी कार्य विभाग को सौंपता है, तथा उनको उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मुख्यालय, नई दिल्ली के पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. 6559/1828/XXI-B/C.G./2021.—In compliance of Hon'ble High Court of Chhattisgarh Memo No. 490/I-8-6/2001 (Pt. IV)/II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2021 Bilaspur, dated 01-07-2021 and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the state Government, hereby withdraws the services of Shri Ishan Vyas, IX Civil Judge, Class-II, Raipur, from Chhattisgarh High Court, Bilaspur, and handover the services to Law and Legislative Affairs Department, for his appointment on deputation and appoints him as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Stationed at New Delhi from the date he assumes charge of his office.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 जुलाई 2021

क्रमांक 7405/2082/21-ब/छ.ग./2021.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 614/I-8-6/2001 (Pt. IV)/Confdl./2021 दिनांक 22-07-2021 के द्वारा प्रेषित अनुशंसा के अनुपालन में श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालोद की सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6557/1828/21-B/C.G./2021 दिनांक 02-07-2021 के सरल क्रमांक 8 को विलोपित करते हुए निरस्त करता है एवं उनकी सेवाएं माननीय

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर को वापस करता है एवं फलतः इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6624/2184/21-B/C.G./2019 दिनांक 03-07-2019 का सरल क्रमांक 5 जो श्री राहुल शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पद पर नियुक्ति के संबंध में है यथावत लागू रहेगा.

No. 7405/2082/XXI-B/C.G./2021.—The State Government on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide their Memo No. 614/I-8-6/2001 (Pt.IV)/Confdl./2021 dated 22nd July, 2021 hereby, partially cancels this department's order No. 6557/1828/21-B/C.G./2021 dated 02-07-2021 by omitting Sl No. 8 with respect to appointment of Smt. Savita Singh Thakur, II Civil Judge, Class-II, Balod as Secretary, District Legal Services Authority, Durg and handovers her services to Hon'ble High Court of Chhattisgarh, and accordingly this department's order No. 6624/2184/21-B/C.G./2019 dated 03-07-2019 shall remain inforce with repsect to Sl. No. 5 regarding appointment of Shri Rahul Sharma, Civil Judge Class-II as Secretary, Disrtict Legal Services Authority, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 19-02/2020/25-1 पार्ट.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 यथा संशोधित अधिनियम-2020 अध्याय-2 की कंडिका-3 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करता है :—

स.क्र.	नाम	पदनाम	गृह जिला
1.	श्री भानुप्रताप सिंह, पूर्व विधायक	अध्यक्ष	सूरजपुर
2.	श्री गणेश ध्रुव	सदस्य	बलौदाबाजार-भाटापारा
3.	श्री अमृत टोप्पो	सदस्य	सरगुजा
4.	श्रीमती अर्चना पोर्ते	सदस्य	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

2. नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, में पदग्रहण की तिथि से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक रहेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 19-03/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1995 (क. 26 सन् 1995) की धारा-3 के अंतर्गत श्री आर.एन.वर्मा, दुर्ग को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में पदग्रहण की तिथि से राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 19-04/2021/25-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संदीप साहू, रायपुर को छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-10/2006/16 (पार्ट).—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 की उपधारा (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम कल्याण मंडल में निम्नानुसार सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

1.	श्री शारिक रईस खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक, रायपुर	—	सदस्य
2.	श्री नरेश देवांगन, कोरबा	—	सदस्य
3.	श्रीमती अम्बालिका साहू, मुंगेली	—	सदस्य
4.	श्री सुशांतो रॉय, सुकमा	—	सदस्य
5.	श्री नवीन सिंह, कोरबा	—	सदस्य
6.	श्री झुमुक साहू, दुर्ग	—	सदस्य
7.	श्री मनोज ठाकुर, अधिवक्ता, रायपुर	—	सदस्य

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-13/2015/16 (पार्ट).—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 18(3) सहपठित नियम 2008 के नियम, 251 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नानुसार छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अध्यक्ष/सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

1.	श्री सुशील सन्नी अग्रवाल, रायपुर	—	अध्यक्ष
2.	श्री श्याम जायसवाल, मुंगेली	—	सदस्य
3.	श्री अनिल सिंह, सरगुजा	—	सदस्य
4.	श्रीमती मंजू सिंह, जांजगीर-चांपा	—	सदस्य
5.	श्री बलराम मौर्य, बस्तर	—	सदस्य
6.	श्री दुर्गेश जायसवाल, जांजगीर-चांपा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 जुलाई 2021

क्रमांक एफ-2-17/2021/दो-गृह/रापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सिद्धार्थ बघेल, (डीडी-2016) उप पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), भाटापारा जिला बलौदाबाजार के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जशपुर प.ह.नं. 06	215.586	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 01, खरसिया जिला रायगढ़.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2014-15/3617.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	माड़ाकोट प.ह.नं. 11	17.897	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड (छ.ग.).	माड़ाकोट जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष/ नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही/पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2015-16/3616.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	कुम्हारी प.ह.नं. 11	1.397	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड (छ.ग.).	माड़ाकोट जलाशय योजना अंतर्गत कुम्हारी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही/पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2019-20/3618.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	देवरीडांड़ प.ह.नं. 22	11.173	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड (छ.ग.).	राजाडीह जलाशय योजना के अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही/पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2019-20/3619.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	राजाडीह प.ह.नं. 22	4.712	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड (छ.ग.).	राजाडीह जलाशय योजना के अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही/पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/8185/भू-अर्जन/12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीखुर्द प.ह.नं. 22	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/8186/भू-अर्जन/11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	घोरदा प.ह.नं. 11	0.263	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2021

क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुमगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.581 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
353/4	0.150
353/2	0.105
301	0.251
304	0.004
278/2	0.264
305/2	0.158
356/2	0.044
358/1	0.149
451/2	0.052
451/4	0.020
442/6	0.012
442/4	0.016
353/6	0.106
299/2	0.149
302	0.117
350	0.119
278/4	0.057
356/2	0.113
442/2	0.121
449	0.012

(1)	(2)
358/3	0.020
442/3	0.052
442/7	0.012
442/9	0.016
353/1	0.149
300	0.028
303	0.146
354	0.069
298	0.849
353/3	0.053
357	0.020
451/1	0.020
450/2	0.052
451/5	0.008
442/8	0.012
358/2	0.056
योग 36	3.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–गुमगा व्यपवर्तन के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2021

क्रमांक/04/अ–82/2019–20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–सरगुजा
- (ख) तहसील–उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम–नमना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.880 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1116/2	0.024
909/2	0.020
925/5	0.044
923	0.024
932	0.061
649	0.012
921/2	0.004
940/3	0.004
939/1	0.021
753	0.032
650/2	0.012
652/3	0.008
929	0.004
1115	0.048
909/3	0.020
910	0.016
940/2	0.004
946	0.008
919/1	0.024
953/2	0.008
919/2	0.016
722	0.121
752/2	0.016
650/3	0.012
938/3	0.028
931	0.024
911	0.008
909/4	0.040
918	0.004
930	0.053
648	0.008
938/1	0.028
951/2	0.012
938/2	0.057
652/2	0.008
650/1	0.012
652/1	0.008
939/4	0.027
योग 38	0.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–रिखी जलाशय नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1640.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री देवराम साहू, श्री रूपदास कुर्रे, श्री लहरगंगा सोनी, जिला-बिलासपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/29/2018, दिनांक 23 जून, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2021—02 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/29/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रूपदास कुर्रे, जो छत्तीसगढ़ के 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रूपदास कुर्रे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रूपदास कुर्रे को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री रूपदास कुर्रे द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा, अपने दिनांक 27 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिर्पोट में यह बताया गया है कि श्री रूपदास कुर्रे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रूपदास कुर्रे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री रूपदास कुर्रे, बदरा (ठाकुर), जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 23rd June, 2021—02 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/29/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Bilha Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Roopdas Kurrey, Independent candidate from 29-Bilha Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Roopdas Kurrey, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Sh. Roopdas Kurrey, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Roopdas Kurrey, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/141 dated 07th July, 2020 has stated that Sh. Roopdas Kurrey, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Roopdas Kurrey, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Roopdas Kurrey, resident of Badra (Thakur), Dist-Bilaspur, Chhattisgarh and the Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 29-Bilha Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2021—02 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/29/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लहरगंगा सोनी, जो छत्तीसगढ़ के 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लहरगंगा सोनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लहरगंगा सोनी को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री लहरगंगा सोनी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा, अपने दिनांक 27 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिर्पोट में यह बताया गया है कि श्री लहरगंगा सोनी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लहरगंगा सोनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री लहरगंगा सोनी, ग्राम-मुढ़ीपार, पोस्ट-हिर्री, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 23rd June, 2021—02 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/29/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Bilha Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Laharganga Soni, Independent candidate from 29-Bilha Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Laharganga Soni, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Sh. Laharganga Soni, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Laharganga Soni, on 19th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Laharganga Soni, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Laharganga Soni, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Laharganga Soni, resident of Mudhipur, Post-Hirri, The.-Bilha, Dist.-Bilaspur, Chhattisgarh and the Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 29-Bilha Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2021—02 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/29/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री देवराम साहू, जो छत्तीसगढ़ के 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारत भूमि पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री देवराम साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री देवराम साहू को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री देवराम साहू द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा, अपने दिनांक 27 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिर्पोट में यह बताया गया है कि श्री देवराम साहू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री देवराम साहू निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 29-बिल्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री देवराम साहू, नर्मदा विहार, यदुनंदन नगर, तिफरा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 23rd June, 2021—02 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/29/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 29-Bilha Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Devram sahu, a contesting candidate of Bharat Bhumi from 29-Bilha Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Devram Sahu, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Sh. Devram Sahu, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Devram Sahu, on 29th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4306 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Devram Sahu, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Devram Sahu, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Devram Sahu, resident of Narmada Vihar, Yadunandan Nagar Tifra, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the constesting candidate of Bharat Bhumi for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 29-Bilha Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st July, 2021

No. 483/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following candidate as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted in the capacity as mentioned against his name in Column No. (3) of the table below with a direction to join his place of posting on or before 15-07-2021 :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Shri Paarth Dubey. S/o Shri Deepak Dubey	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.